

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च 2016—चैत्र 5, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2016

क्र. एफ-1 (ए)29-2013-ब-2-दो.—विभागीय आदेश दिनांक 6 फरवरी 2016 द्वारा श्री रियाज इकबाल, भापुसे सेनानी, 2री वाहिनी, विसबल, ग्वालियर को पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा स्वीकृत दिनांक 14 से 28 जनवरी 2016 तक, पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 प्रथम पार्ट वर्ष 2014-15

के विस्तार वर्ष 2016 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा तहत् सपरिवार गृह नगर कोल्लम (केरला) की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की गई थी. श्री रियाज इकबाल, भापुसे को उक्त स्वीकृत अवकाश के साथ 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृत प्रदान की जाती है.

2. आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2016

फा. क्र. 3(बी)6-2011-इक्कीस-ब-(एक) 531.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सुश्री स्मृति सिंह, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सतना की परिवीक्षाकाल के दौरान उनके परिवीक्षा में रहते हुए आचरण एवं प्रदर्शन के आधार पर उनका कार्य असंतोषजनक पाते हुए उनकी सेवाएं समाप्त किए जाने का निर्णय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट मीटिंग (Full Court by circulation) दिनांक 8 फरवरी 2016 में लिया गया है।

और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 1994 के नियम 11 (सी) के अंतर्गत यह अनुशंसा की गई है कि सुश्री स्मृति सिंह, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सतना (परिवीक्षाधीन) की सेवाएं समाप्त की जाएं।

अतः, मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए एतद्वारा सुश्री स्मृति सिंह, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 सतना (परिवीक्षाधीन) की मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 1994 के नियम 11 (सी) सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8(4) के अन्तर्गत सुश्री स्मृति सिंह, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 सतना (परिवीक्षाधीन) की सेवाएं समाप्त करता है।

यह आदेश सुश्री स्मृति सिंह, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 सतना (परिवीक्षाधीन) पर निर्वाह होते ही प्रभावशील हो जावेगा।

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2016

फा. क्र. 1-7-81-इक्कीस-ब(एक)-584-2016.—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (1), (1-क) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-7-81-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 19 मई 1981 को जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में उसी दिन प्रकाशित हुई थी, को जहां तक कि उसका संबंध भिण्ड में विशेष न्यायालय के गठन से है, आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित विशेष न्यायालयों का उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में यथादर्शित क्षेत्र के अधीन आने वाले मामलों के

विचारण के संबंध में गठन करती है, अर्थात्:—

सारणी

अनु- क्रमांक	विशेष न्यायालय	क्षेत्रीय अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
“2.	विशेष न्यायालय क्रमांक-1, भिण्ड.	राजस्व जिला भिण्ड की तहसील भिण्ड, तहसील रैन एवं तहसील मिहोना की क्षेत्रीय अधिकारिता.
2क.	विशेष न्यायालय गोहद, भिण्ड.	गोहद की क्षेत्रीय अधिकारिता
2ख.	विशेष न्यायालय लाहार, भिण्ड.	लाहार की क्षेत्रीय अधिकारिता
2ग.	विशेष न्यायालय क्रमांक-2, भिण्ड.	राजस्व जिला भिण्ड की तहसील अटेर, तहसील गोरमी एवं तहसील मेहगांव की क्षेत्रीय अधिकारिता.”

टिप्पणी.—विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अन्तरित हो जायेंगे।

F. No. 1-7-81-XXI-B(One)-584-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (1-A) & (2) of Section 6 of the Madhya Pradesh, Dakaiti Aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (No. 36 of 1981), and in partial supersession of this department's Notification F. No. 1-7-81-XXI-B(I) dated 19th May, 1981, which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) on the same day, as far as it relates to the constitution of Special Court at Bhind, the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby constitutes the Special Court mentioned in column (2) of the Schedule below for the purposes of the said Act in relation to the trial of the cases falling under areas as shown in column (3) of the said Schedule, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Special Court	Territorial jurisdiction
(1)	(2)	(3)
“2.	Special Court No. 1, Bhind.	Areas of Tehsil Bhind, Tehsil Raun and Tehsil Mihona of Revenue District, Bhind.
2A.	Special Court Gohad, Bhind,	Territorial jurisdiction of Gohad.
2B.	Special Court Lahar, Bhind,	Territorial jurisdiction of Lahar.
2C.	Special Court No.2, Bhind.	Areas of Tehsil Ater, Tehsil Gormi & Tehsil Mehgaon of Revenue District, Bhind.”

Note—The pending cases of the Special Court shall stand transferred to newly constituted court according to their territorial jurisdiction.

फा. क्र. 17-(ई)-83-03-इक्कीस-ब-(एक)-583-2016.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग—1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 12 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ अर्थात्:—

सारणी

स.क्र. (1)	सिविल जिले का नाम (2)	विशेष न्यायालय का नाम (3)	विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम (4)
" 12.	भिण्ड	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड.	श्री कुलदीप जैन, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड."

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(one)-583-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th September, 2010, namely:—

AMENDMENTS

In the said notification, in the table, for serial number 12 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Name of the Civil District (2)	Name of Special Court (3)	Name of the Judge of the Special court (4)
" 12.	Bhind	IInd Additional Sessions Judge, Bhind.	Shri Kuldeep Jain IInd Additional Sessions Judge, Bhind."

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2016

फा. क्र. 3(बी)02-2014-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 30), राज्य शासन, श्री विनय कुमार तिवारी पिता श्री बी. एन. तिवारी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इलाहाबाद (उत्तरप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 2 अप्रैल, 1982 है.

फा. क्र. 3(बी)02-2014-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 44), राज्य शासन, श्री प्रवीण गर्ग पिता श्री राम कुमार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला अम्बाला (हरियाणा) है. उसकी जन्मतिथि 10 जून 1981 है.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2016

फा. क्र. 1-1-2002-इक्कीस-ब(एक)-965.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री आनंद मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को पीठासीन अधिकारी, कुटुम्ब न्यायालय के पद पर एतद्वारा उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है।

उक्त अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2016

फा. क्र. 1(बी)-34-2004-इक्कीस-ब-(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, अतिरिक्त शासकीय अधिभाषकों/अतिरिक्त लोक अभियोजकों के पद पर उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये नरसिंहपुर सत्र खण्ड के नरसिंहपुर राजस्व जिले के लिये एतद्वारा नियुक्त करता है:—

क्रमांक (1)	नाम (2)	पद (3)
1	श्री शरद कुमार शर्मा	अतिरिक्त शासकीय अधिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला नरसिंहपुर.
2	श्री हरनारायण सिंह कौरव.	अतिरिक्त शासकीय अधिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर.

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है।

फा. क्र. 1(सी)-22-2011-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार रायसेन जिले के विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4(1) के अनुसार श्री भरत सिंह राजपूत, अधिवक्ता को जिला रायसेन में विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता पैनल में शामिल करता है।

उक्त नियुक्ति श्री भरत सिंह राजपूत द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी। यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है। किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होंगे। विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु पैनल अधिवक्ता को कार्य जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा।

नियुक्त अधिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अधिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा। जिसका का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

फा. क्र. 1(सी)-22-2011-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री धनीराम विश्वकर्मा अधिवक्ता जिला रायसेन को जिला रायसेन में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

उक्त नियुक्ति श्री धनीराम विश्वकर्मा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी। यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है। किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होंगे।

श्री धनीराम विश्वकर्मा, अधिवक्ता, रायसेन को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अधिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा। जिसका का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

फा. क्र. 1(बी)-13-2004-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 दिसम्बर 2014 द्वारा नियुक्त श्री अश्विनी भाटे पुत्र श्री बी.ए. भाटे अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला खण्डवा का कार्यकाल दिनांक 16 दिसम्बर 2015 को समाप्त होने के पश्चात् उन्हें दिनांक 17 दिसम्बर 2015 से 16 दिसम्बर 2018 तक तीन वर्ष की अवधि हेतु इस शर्त के अधीन पुनर्नियुक्ति करता है.

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(बी)-41-2004-इक्कीस-ब-(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक/अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सतना सत्र खण्ड के सतना राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा नियुक्त करता है:—

क्रमांक (1)	नाम (2)	पद (3)
1	श्री उमेश कुमार शर्मा	शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, जिला सतना.
2	श्री कमला प्रसाद विश्वकर्मा	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला सतना.

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 15/16 मार्च 2016

फा. क्र. 1(बी)-2-2015-इक्कीस-ब-(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक/अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये शाजापुर सत्र खण्ड के शाजापुर राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा नियुक्त करता है:—

क्रमांक (1)	नाम (2)	पद (3)
1	श्री विवेक शर्मा	शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, जिला शाजापुर.

(1)	(2)	(3)
2	श्री हिम्मत सिंह परमार	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला शाजापुर.
3	कैलाश यादव	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला शाजापुर.

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2016

पंजी क्र. 823-2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, जिला मुख्यालय, शहडोल में नियुक्त नोटरी, श्री गोरेलाल शुक्ल का दिनांक 4 जनवरी 2016 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप मृतक के नोटरी नियुक्ति आदेश दिनांक 23 जुलाई 2000 एवं नवीनीकरण आदेश दिनांक 8 जुलाई 2015 को अपास्त करते हुए श्री गोरेलाल शुक्ल का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. मुकाती, अवर सचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2016

क्र. एफ 02-(बी)-08-2015-तीन-जेल.—विभागीय आदेश क्रमांक एफ-02-(बी)-09-2005-तीन-जेल-2825, दिनांक 29 सितम्बर 2008 द्वारा जेलों पर पदस्त वरिष्ठतम उप जेल अधीक्षक (जेलर) (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित) को कार्यालय प्रमुख तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी घोषित किया गया है.

2. उक्त आदेश में संशोधन करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा प्रदेश स्थित जिला जेलों में पदस्थ अधीक्षक, जिला जेल (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित) को मध्यप्रदेश बुक ऑफ फाइनेंशियल पॉवर, 2012 वाल्यूम-1 के सेक्शन 1.11 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्यालय प्रमुख तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी घोषित करता है.

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग की यू.ओ.टीप क्रमांक 239/सीआर निल/ब-8/चार/16, दिनांक 29 फरवरी 2016 में दिये गये परामर्श के अनुक्रम में जारी की गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2016

क्रमांक एफ-25-12/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N-22°11'22.413" से N-22°10'34.735" तथा E-78°57'49.163" से E-78°58'34.414" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

:: अनुसूची ::

जिला - छिन्दवाड़ा तहसील - छिन्दवाड़ा
वनमण्डल - पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल (क्षेत्रीय) वन परिक्षेत्र - छिन्दवाड़ा

क्रमांक	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे० में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	छिंदा अ	छिंदा	छोटे बड़े झाड़ का जंगल	2/2	59.00	उत्तर - मुनारा क्रमांक 01 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - मुनारा क्रमांक 07 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - मुनारा क्रमांक 10 से 34 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - मुनारा क्रमांक 34 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	59.00	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक/6-MPC025/2015-BHO/728 दिनांक 13.07.2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा की स्वीकृति परियोजना, सीताझिर जलाशय में प्रभावित 36.185 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 59.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 59.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक/35/अ-19(3)/2013-14 दिनांक 29.05.2014 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2016

एफ-25-12-2016-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-12-2016-दस-3, दिनांक 18 मार्च 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 18th March 2016

No. F-25-12/2016/10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between North Latitude N-22°11'22.413" to N-22°10'34.735" & E-78°57'49.163" to E-78°58'34.414" East Longitude.

SCHEDULE

District - Chhindwara Tehsil. - Chhindwara
Forest Division - East Chhindwara Division (T) Forest Range - Chhindwara

No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Chhinda-A	Chhinda	Chhote Jhad ka Jungle	2/2	59.00	North - Pillar No. 01 to 07 Artificial forest boundary East - Pillar No. 07 to 10 Artificial forest boundary South - Pillar No. 10 to 34 Artificial forest boundary West - Pillar No. 34 to 01 Artificial forest boundary.
				Total	59.00	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक/6-MPC025/2015-BHO/728 दिनांक 13.07.2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा की स्वीकृति परियोजना, सीताझिर जलाशय में प्रभावित 36.185 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 59.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 59.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक/35/अ-19(3)/2012-13 दिनांक 07.05.2014 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

- व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2016

एफ-25-12-2016-दस-3,—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-12-2016-दस-3, दिनांक 18 मार्च 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 18th March 2016

No. F-25-12/2016/10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from

time to time. This Forest Block lies between North Latitude N-22°10'14.315" to N-22°10'23.162" & E-78°52'43.672" to E-78°52'56.968" East Longitude.

SCHEDULE

District - Chhindwara **Tehsil.** - Chhindwara
Forest Division - East Chhindwara Division (T) **Forest Range** - Chhindwara

No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Futera-B	Futera	Pahad Chattan	257/1	6.685	North - Pillar No. 13 to 04 Artificial forest boundary East - Pillar No. 04 to 06 Artificial forest boundary South - Pillar No. 06 to 08 Artificial forest boundary West - Pillar No. 08 to 13 Artificial forest boundary.
				Total	6.685	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment, Forest and Climate change, Govt. of India's order no. 6-MPC025/2015-BHO/728 dated 13.07.2015 and in lieu of 36.185 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sitajhir Tank Project of Executive Engineer Irrigation the above mentioned Non Forest Land of 6.685 hectare Transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No.35/A-19(3)/2012-13 dated 07.05.2014 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दासौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गरोठ, दिनांक 10 मार्च 2016

प्रारंभिक सूचना

[अंतर्गत धारा-11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
(क्रमांक 30 सन् 2013)]

क्र. 677-रीडर-1-2016-प्र.क्र. 6-अ-82-15-16.—चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना के लिये ग्राम भानपुरा की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप “ख” में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा. अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण:—

जिला—मन्दासौर, तहसील भानपुरा, ग्राम—भरत्याखेडी, रतनपुरा, क्षेत्रफल रकबा

अनुसूची (1)

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	भरत्याखेडी	2.818	0.000	2.818
2	रतनपुरा	15.277	0.000	15.277
योग . .		18.095	0.000	18.095

अनुसूची (2)

भानपुरा नहर परियोजना (यूनिट द्वितीय) भाग-1

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ग्राम भरत्याखेडी						
1	आबिद हुसैन पिता फकरुद्दीन बोहरा, निवासी भानपुरा.	22	1.821	0.456	0.000	0.456

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	मोहनबाई पति मांगीलाल गुर्जर निवासी भानपुरा.	23/2	0.217	0.180	0.000	0.180
3	रामगोपाल पिता मांगीलाल मोहनबाई बेवा मांगीलाल गुर्जर निवासी भानपुरा.	24 47	2.226 0.304	0.300 0.096	0.000 0.000	0.300 0.096
4	लालचंद पिता श्यामलाल सत्यनारायण गीताबाई संतोषबाई पिता रामनारायण ब्राह्मण निवासी भानपुरा.	48	1.400	0.012	0.000	0.12
5	ओमप्रकाश पिता घनश्याम ब्राह्मण निवासी, भानपुरा.	49	0.348	0.288	0.000	0.288
6	कलाबाई बेवा कैलाशचन्द्र शरद कुमार पिता कैलाशचन्द्र सुडीबाई अंतिमबाला पिता कैलाशचन्द्र ब्राह्मण निवासी भानपुरा.	50/3	0.060	0.024	0.000	0.024
7	शरद कुमार पिता कैलाशचन्द्र ब्राह्मण निवासी भानपुरा.	52/2	0.427	0.180	0.000	0.180
8	रेश्मबाई पति देवीसिंह गाडोलिया निवासी करम्दीखेडा.	53/2	1.326	0.330	0.000	0.330
9	मोहसीन अली पिता युसूफअली बोहरा, निवासी भानपुरा.	54/1	1.159	0.078	0.000	0.078
10	चमेलीबाई बेवा शान्तिलाल व फतेलाल पिता चांदमल व प्रशांत कुमार दत्तक पिता शांतिलाल अ.पा.क. माता चमेलीबाई जाति महाजन	62/2	0.608	0.032	0.000	0.032
11	वरदी बाई मनोहर गायरी जाति गुर्जर निवासी एरिया तह. गरोठ हा. मु. भानपुरा.	61/3 61/4	0.608 0.607	0.125 0.120	0.000 0.000	0.125 0.120
12	रामसिंह दुलेसिंह हरिसिंह बा. मेहरबानसिंह नोदियानबाई ना. बा. पिता कालुसिंह अ.पा. क. रामसिंह पिता कालुसिंह बापुलाल पिता घीसूलाल जाति सो.रा.	61/1/1/1	1.525	0.324	0.000	0.324
13	भंवरलाल पिता मांगीलाल महेश राधेश्याम घनश्याम पिता भंवरलाल रामकन्या बाई किरण पिता भंवरलाल खटिक निवासी भानपुरा.	61/1/1/2	0.300	0.015	0.000	0.015

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	सज्जनसिंह पिता घीसुलाल जाति सो.रा. निवासी करोदीखेड़ा.	62	3.237	0.258	0.000	0.258
	योग . .		16.173	2.818	0.000	2.818

ग्राम रतनपुरा :

1	भुवाना पिता मांगीलाल चमार	148/5 पै.	1.645	0.475	0.000	0.475
2	गीता बाई पति मदनलाल अहिरवार नि. सुठलीखेड़ा.	135	1.729	0.065	0.000	0.065
3	कृष्णा पति बंशिलाल पुरोहित जाति ब्राहमण निवासी रामगंजमंडी.	134/1 134/2	0.297 0.836	0.032 0.070	0.000 0.000	0.032 0.070
4	मांगीलाल पिता हिन्दुसिंह सो.रा.नि. सुठलीखेड़ा.	130/3	1.400	0.360	0.000	0.360
5	चेनसिंह पिता पर्वतसिंह सो.रा.नि. सुठलीखेड़ा.	130/2/2 338/3	0.648 1.000	0.020 0.015	0.000 0.000	0.020 0.015
6	कन्हैयालाल पिता मोतीगिरी कालुगिरी पवनगीर पिता रतनगिरी व नन्दुबाई बेवा रतनगिरी न्योदाबाई बेवा नाथुगिर बालुगिरी सोनगिरी सज्जनगिरी पिता नाथुगिरी निवासी सुठलीखेड़ा.	275/3	4.306	0.672	0.000	0.0672
7	श्यामुबाई पति बलवंतसिंह सो.रा.नि. सुठलीखेड़ा.	289/1	0.365	0.252	0.000	0.252
8	श्यामुबाई पति नेपालसिंह व भेरूसिंह पिता नेपालसिंह सो.रा.नि. सुठलीखेड़ा.	291 292	0.441 0.364	0.120 0.060	0.000 0.000	0.120 0.060
9	गोविन्दप्रसाद राधेश्याम पिता भंवरलाल व ओमप्रकाश.	316	0.194	0.060	0.000	0.060
10	सरसकुंवर बाई बेवा इंदरसिंह खुमानसिंह अर्जनसिंह सौरमबाई ना. बा. पिता इन्दरसिंह सर माता सरसकुंवरबाई बेवा इंदरसिंह करणसिंह रायसिंह सो.रा.	317	0.279	0.060	0.000	0.060
11	जेसिंह गुमानसिंह बलवंतसिंह नैनसिंह पिता लालसिंह इंदरबाई बेवा लालसिंह भंवरीबाई बेवा जुझारसिंह सो.रा.नि. सुठलीखेड़ा.	315	0.510	0.114	0.000	0.114
12	गंगाराम तेजसिंह सौदानसिंह पिता कालुसिंह सो.रा.नि. सुठलीखेड़ा.	314	1.229	0.408	0.000	0.408
13	मोतीसिंह गुमानसिंह रतनसिंह उमरावसिंह पिता हरिसिंह करणबाई पिता हरिसिंह सो.रा. निवासी, सुठलीखेड़ा.	320	1.041	0.072	0.000	0.072

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	नारायणसिंह धीरजसिंह मेहरबानसिंह पिता राघुसिंह सो.रा. निवासी सुठलीखेड़ा.	311	2.339	0.492	0.000	0.492
15	मानसिंह रामसिंह पिता बापुसिंह सो.रा. निवासी सुठलीखेड़ा.	327	3.536	0.240	0.000	0.240
16	अर्जुनलाल पिता होतुराम पंजाबी निवासी भानपुरा.	330	1.234	0.180	0.000	0.180
17	सुहागबाई बेवा चुन्नीलाल, मोहनलाल घीसूलाल प्रभुलाल पिता चुन्नीलाल चमार निवासी सुठलीखेड़ा.	334	0.049	0.010	0.000	0.010
18	देउबाई बेवा नारायणसिंह विक्रमसिंह दिलिपसिंह पिता नाथुसिंह व लीलाबाई पिता नाथुसिंह व भंवरबाई बेवा नाथुसिंह. सो.रा. निवासी सुठलीखेड़ा.	335	2.399	0.588	0.000	0.588
19	रणजीतसिंह पिता बापुलाल सो.रा. निवासी खेड़ा.	399/1	2.475	0.438	0.000	0.438
20	नेपालसिंह पिता पर्वतसिंह सो.रा. निवासी सुठलीखेड़ा.	338/4	1.000	0.264	0.000	0.264
21	काना पिता अमरा प्रकाश रंगलाल भारतलाल देवी बाई इन्द्रबाई कारू व भुलीबाई पिता अमरा जाति चमार निवासी सुठलीखेड़ा.	396	1.218	0.260	0.000	0.260
22	छुलेसिंह पिता गीरवरसिंह सो.रा. निवासी सुठलीखेड़ा.	393	1.971	0.140	0.000	0.140
23	सज्जनसिंह गुमानसिंह सुल्तानसिंह मोखमसिंह पिता बापुलाल व लिलाबाई भग्गुबाई गुड्डीबाई प्रेमबाई भुरीबाई पिता बापुलाल सो.रा. निवासी, सुठलीखेड़ा.	392	0.849	0.160	0.000	0.160
24	राघुसिंह पिता किशनलाल मोत्याबाई बेवा किशनलाल मीणा निवासी धनकपुरा.	385/2	2.245	0.335	0.000	0.335
25	मांगीलाल पिता रूघनाथ मीणा निवासी धनकपुरा.	385/3 382/2	1.045 2.000	0.250 0.355	0.000 0.000	0.250 0.355
26	राकेश कुमार पिता जैठानन्द पंजाबी नि. भानपुरा.	665/2 666	1.940 3.096	0.420 0.030	0.000 0.000	0.420 0.030
27	पतेसिंह पिता बापुलाल सो. रा. नि. नयागांव	664	1.578	0.310	0.000	0.310

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28	रमेश चन्द्र पिता रामलाल अहिर निवासी नयागांव.	689/1	4.049	0.460	0.000	0.460
29	पवनकुमार पिता रामलाल अहिर निवासी नयागांव.	689/2	4.045	0.103	0.000	0.103
30	प्रह्लादसिंह पिता बापुसिंह सो. रा. निवासी नयागांव.	660पै.	0.359	0.110	0.000	0.110
31	जगदीश पिता रामलाल अहिर निवासी नयागांव.	660पै.	0.358	0.110	0.000	0.110
32	रामलाल पिता नन्दलाल अहिर निवासी नयागांव.	658/4 658/50	0.142 0.141	0.075 0.075	0.000 0.000	0.075 0.075
33	गीताबाई बेवा पुरसिंह डुगरसिंह पिता पुरसिंह मगनबाई सोहनबाई भुराबाई संतोषबाई पिता पुरसिंह सो. रा. नि. नयागांव	647 646 645	0.522 0.393 0.758	0.150 0.020 0.040	0.000 0.000 0.000	0.150 0.020 0.040
34	उमरावसिंह पिता गंगाराम सो. रा. नयागांव.	691 717/2 735/2	1.724 0.627 1.440	0.235 0.125 0.200	0.000 0.000 0.000	0.235 0.125 0.200
35	रामसिंह पिता प्यारसिंह सो. रा. नि. नयागांव.	644	0.837	0.022	0.000	0.022
36	अछनबाई बेवा फतेसिंह व गुमानसिंह पिता फतेसिंह सो. रा. नि. नयागांव	693	0.878	0.145	0.000	0.145
37	रामचंद पिता रामलाल अहिर निवासी नयागांव.	694/1/1	0.357	0.150	0.000	0.150
38	मेहताबबाई पिता रामलाल अहिर निवासी नयागांव.	694/2	2.358	0.140	0.000	0.140
39	शिवसिंह पिता सरदार सिंह सो. रा. निवासी नयागांव.	718/1पै.	0.963	0.215	0.000	0.215
40	भेरूसिंह पिता सरदार सिंह सो. रा. निवासी नयागांव.	718/3पै.	0.693	0.190	0.000	0.190
41	गुमानसिंह पिता रामसिंह नि. नयागांव	717/1	1.316	0.280	0.000	0.280
42	श्यामलाल पिता हीरालाल तेली निवासी नयागांव.	735/3	1.440	0.285	0.000	0.285
43	देवीसिंह पिता गंगाराम उर्फ गंगासिंह सो. रा. निवासी नयागांव.	736	0.632	0.020	0.000	0.020
44	गीताबाई बेवा पुरसिंह डुगरसिंह पिता पुरसिंह मगनबाई सोहनबाई भुराबाई संतोषबाई पिता पुरसिंह सो. रा. निवासी नयागांव.	739	2.620	0.420	0.000	0.420

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
45	प्रहलादसिंह ईश्वरसिंह पिता सरदारसिंह सो. रा. निवासी नयागांव.	774/1	1.146	0.155	0.000	0.155
46	गोकुलसिंह पिता कानसिंह सो. रा. निवासी नयागांव.	774/2 774/3	1.000 1.500	0.190 0.175	0.000 0.000	0.190 0.175
47	कान्ताबाई पति गोकुल प्रसाद अहिर निवासी नयागांव.	770/1 770/5	2.508 0.623	0.125 0.155	0.000 0.000	0.125 0.155
48	कुसुमबाई बेवा कैलाशचन्द्र अनेकांत अनिला अर्चना पिता कैलाशचन्द्र शरदकुमार नवीनकुमार महेन्द्रकुमार दिलीपकुमार विजय कुमार पिता नेमीचंद व इन्द्राबाई कोमलबाई पिता नेमीचंद जैन निवासी लोटखेड़ी.	770/3	1.022	0.412	0.000	0.412
49	श्रामसिंह पिता भेरूसिंह सो. रा. निवासी नयागांव.	770/2 529	1.296 2.153	0.235 0.140	0.000 0.000	0.235 0.140
50	रामकुवरबाई बेवा बद्रीसिंह सो. रा. निवासी धनकपुरा मजरा रतनपुर.	800/1	1.484	0.145	0.000	0.145
51	रामप्यारीबाई पति ओमप्रकाश पाटीदार निवासी बोरदा.	800/2	1.484	0.019	0.000	0.019
52	शोभाराम पिता हिरालाल कुल्मी नि. बोरदा	799/4	2.208	0.365	0.000	0.365
53	प्रेमनारायण पिता रामनिवास कुल्मी बोरदा	799/3	2.545	0.135	0.000	0.135
54	जगदीश पिता रामनारायण कुल्मी निवासी ग्राम.	799/2	1.510	0.535	0.000	0.535
55	बालाराम सत्यानारायण पिता उंकारलाल प्रेमबाई पिता उंकारलाल मीणा निवासी धनकपुरा.	795	1.736	0.255	0.000	0.255
56	दुर्गाबाई बेवा कारूलाल ललीतबाई अंगुरीबाई झमकुबाई सज्जाबाई लक्ष्मीबाई पिता कारूलाल मीणा.	793/6 793/2	1.254 1.481	0.255 0.007	0.000 0.000	0.225 0.007
57	फतेसिंह पिता बापुलाल मीणा निवासी धनकपुरा.	793/2 792/2	0.957 0.420	0.070 0.234	0.000 0.000	0.070 0.234
58	हरिसिंह पिता बापुलाल मीणा निवासी धनकपुरा.	793/5 739/4 792/1	0.100 0.103 1.164	0.010 0.076 0.027	0.000 0.000 0.000	0.010 0.076 0.027
59	गीताबाई पति सत्यनारायण अहीर निवासी नयागांव.	790	2.042	0.410	0.000	0.410
योग . .			104.358	15.277	0.000	15.277

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, सिंहस्थ-2016 उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी 2016

क्र.-सिंहस्थ-2016-2016/1113.—मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955 (अधिनियम क्र. सन् 1955) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, कवीन्द्र कियावत, जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन, (मध्यप्रदेश), उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ-2016 के लिये अस्थाई पार्किंग हेतु निम्नानुसार अस्थाई मेला क्षेत्र घोषित करता हूँ :—

क्षेत्र (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1 ग्राम पंथपिपलई	24.52

टीप.—उक्त सर्वे नम्बर की जानकारी तथा नक्शे तहसील कार्यालय उज्जैन में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपलब्ध रहेंगे.

उज्जैन, दिनांक 10 मार्च 2016

क्र.-सिंहस्थ-2016-2016-1492.—मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955 (अधिनियम क्र. सन् 1955) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, कवीन्द्र कियावत, जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन, (मध्यप्रदेश), उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ-2016 के लिये अस्थाई पार्किंग एवं शौचालय हेतु निम्नानुसार अस्थाई मेला क्षेत्र घोषित करता हूँ :—

क्षेत्र (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1 ग्राम पाण्ड्याखेड़ी	3.742

टीप.—उक्त सर्वे नम्बर की जानकारी तथा नक्शे तहसील कार्यालय उज्जैन में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपलब्ध रहेंगे.

कवीन्द्र कियावत, जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, सहायक श्रमायुक्त, संभाग शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 5 मार्च 2016

क्र.-नवम-श्र.स.श.-2015-20.—मध्यप्रदेश दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 13 की उपधारा (3-क) द्वारा प्रदाय शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा राज्य शासन अधिसूचना क्रमांक एफ. 14(ई)6-98-ए-सोलह, दिनांक 11 जनवरी 2008 राजपत्र से प्रकाशित दिनांक 25 नवम्बर 2008 के अन्तर्गत प्राधिकृत में श्रीमती संध्या सिंह, श्रम पदाधिकारी, शहडोल, मध्यप्रदेश अपने कार्य क्षेत्र में धारा 13 की उपधारा (3-क) के अंतर्गत निम्नानुसार स्तम्भ (1) में उल्लेखित स्थानीय क्षेत्र के लिये स्तम्भ (2) में उल्लेखित साप्ताहिक अवकाश घोषित करती हूँ, जो कि अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगी :—

क्र. (1)	स्तम्भ (1) (2)	स्तम्भ (2) (3)
1	ब्यौहारी	शनिवार

नगर परिषद् के अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र में यह बन्द दिन प्रभावशील होगा.

श्रीमती संध्या सिंह, श्रम पदाधिकारी.

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
मानव संसाधन विकास, प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2016

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-10-1-2015-1-9 दिनांक 27 मार्च 2015 के परिप्रेक्ष्य में सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिये विभागीय परीक्षा दिनांक 18-21 जनवरी 2016 तक आयोजित की गई, जिसमें वनक्षेत्रपाल के लिये दिनांक 18 जनवरी 2016 को प्रथम-प्रक्रिया, दिनांक 19 जनवरी 2016 को द्वितीय-लेखा, दिनांक 20-1-2016 को तृतीय-सामान्य एवं सहायक वन संरक्षक के लिये दिनांक 18 जनवरी 2016 को प्रथम वन विधि, दिनांक 19 जनवरी 2016 को द्वितीय-सामान्य विधि, दिनांक 20-1-2016 को तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा विषयों पर सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

वनक्षेत्रपाल परीक्षा परिणाम

अनु. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	विषय (4)
भोपाल संभाग			
1	श्री एम. के. धोटे	परियोजना क्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
2	श्री एन. आर. कुशवाह	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
3	श्री रघुवंश कुमार सिंह	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
4	श्री संजीव रंजन	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
5	श्री अरविन्द चौहान	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
6	श्री व्ही. के. ठाकुर	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
7	श्री एम. के. धोटे	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
8	श्री डी. डी. एस. परमार	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
9	श्री एन. आर. कुशवाह	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
10	श्री अरविन्द अहिरवार	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
11	श्री शिवपाल पिपरदे	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
12	श्री रघुवंश कुमार सिंह	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
13	श्री हीरालाल सनोड़िया	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
14	श्री संजीव रंजन	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
15	श्री लखनलाल यादव	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
16	श्री अरविन्द चौहान	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
17	श्री एम. के. धोटे	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
18	श्री डी. डी. एस. परमार	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
19	श्री आर. सी. सक्सेना	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
20	श्री सुरेश कुमार सोनवंशी	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
21	श्री एन. आर. कुशवाह	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
22	श्री अरविन्द कुमार अहिरवार	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
23	श्री शिवपाल पिपरदे	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
24	श्री रघुवंश कुमार सिंह	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
25	श्री हीरालाल सनोड़िया	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
26	श्री संजीव रंजन	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि

ग्वालियर संभाग

27	श्री रामसिंह	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
28	सुश्री सुमन खरे	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया

(1)	(2)	(3)	(4)
29	कु. मोनिका ठाकुर	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
30	श्री रामसिंह पटेल	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
31	कु. मोनिका ठाकुर	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
32	श्री रामसिंह पटेल	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
33	कु. मोनिका ठाकुर	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि

इन्दौर संभाग

34	श्री ऋतु चौधरी	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
35	श्री एस. एल. दोहरे	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
36	श्री उमेश कुमार गोयल	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
37	श्री शाकिर मो. कुरैशी	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
38	कु. ऋतु चौधरी	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
39	श्री गोपाल सिंह जाटव	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
40	कु. ऋतु चौधरी	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि

जबलपुर संभाग

41	श्री भक्त राज पवार	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
42	श्री ओ. पी. मिश्रा	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
43	श्री कल्याण सिंह धाकड़	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
44	श्री कैलाश चन्द्र अहीर	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
45	श्री शिशुपाल अहिरवार	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
46	श्री पपू सिंह वास्कले	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
47	सुश्री संध्या देशकर	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
48	सुश्री स्वाति यादव	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
49	प्रीति शाक्या	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
50	श्रीमती भावना शर्मा	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
51	श्री ओ. पी. शर्मा	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
52	श्री नयन कुमार पालवी	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
53	सुश्री स्वाति यादव	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
54	सुश्री संध्या देशकर	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
55	श्रीमती वती मरावी	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
56	प्रीति शाक्या	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
57	श्रीमती भावना शर्मा	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
58	श्री एस. एल. बरमैया	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
59	श्री कैलाश चन्द्र अहीर	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
61	सुश्री स्वाति यादव	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
62	सुश्री मनीषा कोरव	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि

सहायक वन संरक्षक परीक्षा परिणाम

अनु. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	विषय (4)
भोपाल संभाग			
1	श्री जे. पी. पटेल	उप संभागीय प्रबंधक	प्रथम-वन विधि
2	श्री यू. पी. सिंह	उप संभागीय प्रबंधक	प्रथम-वन-विधि
3	श्री नरेशचन्द्र पाटीदार	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन-विधि
4	श्री संजय जैन	सहायक वनसंरक्षक	प्रथम-वन-विधि
5	श्री ओ. पी. पटेल	सहायक वनसंरक्षक	प्रथम-वन-विधि
6	श्री जे. पी. पटेल	उप संभागीय प्रबंधक	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
7	श्री यू. पी. सिंह	उप संभागीय प्रबंधक	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
8	श्री ओ. पी. पटेल	सहायक वनसंरक्षक	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
ग्वालियर संभाग			
9	श्रीमती जया पाण्डेय	सहायक वन संरक्षक	प्रथम-वन विधि
इंदौर संभाग			
10	श्रीमती सीमा सिंह	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि
11	कु. शर्मिला झिल्वे	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि
12	श्री आर. के. जैन	उप संभागीय प्रबंधक	प्रथम-वन विधि
13	श्री एस. पी. मैथानी	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि
जबलपुर संभाग			
14	श्री कमलेश कुमार सालवी	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि
15	श्री विपिन कुमार पटेल	भावसे (प्रशिक्षु)	प्रथम-वन विधि
16	श्री सुनील कुमार सिन्हा	सहायक वन संरक्षक	प्रथम-वन विधि
17	श्री के. सी. चौहान	उप संभागीय प्रबंधक	प्रथम-वन विधि
18	श्री अभय सिंह भूरिया	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि
19	श्री राकेश कुमार अड़कने	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि
20	श्री ज्ञानसिंह पवार	वनक्षेत्रपाल (प्रशिक्षु)	प्रथम-वन विधि
21	श्रीमती श्रीतिबाला उराँव	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि
22	श्री ए. ए. अंसारी	भावसे प्रशिक्षु	प्रथम-वन विधि
23	श्री प्रदीप मिश्रा	प्रशिक्षु भावसे	प्रथम-वन विधि
24	श्री आर. एस. राजपूत	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि
25	श्री अवधेश धाकड़	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि
26	विद्या गिनारे	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि

27	श्री विपिन कुमार पटेल	भावसे (प्रशिक्षु)	द्वितीय-सामान्य विधि
28	श्री गजेन्द्र कुमार चतुर्वेदी	सहायक वन संरक्षक	द्वितीय-सामान्य विधि
29	श्री ए. ए. अंसारी	भावसे प्रशिक्षु	द्वितीय-सामान्य विधि
30	श्री प्रदीप मिश्रा	प्रशिक्षु भावसे	द्वितीय-सामान्य विधि
31	श्री सुनील कुमार सिन्हा	सहायक वन संरक्षक	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
32	श्री ए. ए. अंसारी	भावसे प्रशिक्षु	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
33	श्री प्रमोद चोपड़े	सहायक वन संरक्षक	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
34	श्री अवधेश धाकड़	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा

महेन्दु यादुवेन्दु, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक.

कार्यालय, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

राजभवन, भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2016

क्र. एफ-1-7-15-रा.स.-यू.ए.-1-348.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :—

1	डॉ. ए. लक्ष्मीनाथ, कुलपति, चाणक्य नेशनल लॉ युनिवर्सिटी पटना-800001 (बिहार)	समिति के अध्यक्ष	कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित
2	प्रो. एच. देवराज, उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली-110002.	समिति के सदस्य	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित.
3	प्रो. प्रकाश पी. बाकेर, इन्दौर (म. प्र.).	समिति के सदस्य	कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित

2. कुलाधिपतिजी के द्वारा डॉ. ए. लक्ष्मीनाथ, कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के आदेशानुसार,
अजय तिकी, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 9 फरवरी 2016

प्र. क्र. 069-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
पन्ना	रैपुरा	कुआखेड़ा	निजी भूमि रकबा 0.48 है एवं शासकीय भूमि रकबा 0.05 है. <u>कुल रकबा 0.53 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई. पटपरा नाला तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 8 मार्च 2016

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ.10-पत्र क्र. 53-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)लगभग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
सतना	अमरपाटन	लालपुर	0.580	कार्यपालन यंत्री, ना. वि. संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय, मैहर, जिला सतना (म. प्र.). बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ.16-पत्र क्र. 47-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	लटागांव	5.378	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ/स/) संभाग सतना (म. प्र.).	लोक निर्माण विभाग जिग्ना बरही बदल मार्ग सड़क निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ.10-पत्र क्र. 54-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	बर्रह बडा	0.220	कार्यपालन यंत्री, ना. वि. संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय, मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ.10-पत्र क्र. 56-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई

शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	बरेह बडा	0.850	कार्यपालन यंत्री, ना. वि. संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय, मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ.10-पत्र क्र. 57-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	उमराही मथुरिहान	1.096	कार्यपालन यंत्री, ना. वि. संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय, मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ.10-पत्र क्र. 58-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	गडौली	3.018	कार्यपालन यंत्री, ना. वि. संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय, मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ.10-पत्र क्र. 59-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	बरेंह मनीराम	1.250	कार्यपालन यंत्री, ना. वि. संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय, मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ.10-पत्र क्र. 60-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	अकौनी कोठार	1.096	कार्यपालन यंत्री, ना. वि. संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय, मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ.10-पत्र क्र. 61-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के

आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2ए, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	बडखुरा	5.182	कार्यपालन यंत्री, ना. वि. संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय, मैहर, जिला सतना (म. प्र.)	बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 10 मार्च 2016

क्र. 700-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगांवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	पथरहा	4.40	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना (म. प्र.)	मझगांवा शाखा नहर हेतु (Phase I st)

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अर्द्ध में किया जा सकता है.

क्र. 702-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	उमरी	4.75	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	मझगंवा शाखा नहर हेतु
		योग . .	4.75	संभाग क्रमांक-2, सतना (म. प्र.).	(Fase1 st).

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 704-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	भरजुना	5.00	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	मझगंवा शाखा नहर हेतु
		योग . .	5.00	संभाग क्रमांक-2, सतना (म. प्र.).	(Fase1 st).

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 706-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण				धारा 11 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	करसरा	4.50	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	मझगंवा शाखा नहर हेतु
		योग . .	<u>4.50</u>	संभाग क्रमांक-2, सतना (म. प्र.).	(Fase1 st).

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 708-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	उतैली	3.75	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	मझगंवा शाखा नहर हेतु
		योग . .	<u>3.75</u>	संभाग क्रमांक-2, सतना (म. प्र.).	(Fase1 st).

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 710-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	मटीमा	2.5	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	मझगंवा शाखा नहर हेतु
		योग . .	2.5	संभाग क्रमांक-2, सतना (म. प्र.).	(Fase1 st).

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 712-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	खम्हरिया	5.63	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	मझगंवा शाखा नहर हेतु
		योग . .	5.63	संभाग क्रमांक-2, सतना (म.प्र.).	(Fase1 st).

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 714-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	मझगवाँ	5.00	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	मझगवाँ शाखा नहर हेतु
		योग . .	5.00	संभाग क्रमांक-2, सतना (म. प्र.).	(Fase1 st).

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 716-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	कौलौरा	3.75	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	मझगवाँ शाखा नहर हेतु
		योग . .	3.75	संभाग क्रमांक-2, सतना (म. प्र.).	(FaseIII rd).

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 718-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	पिपरा	5.625	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	मझगंवा शाखा नहर हेतु
		योग . .	5.625	संभाग क्रमांक-2, सतना (म. प्र.).	(FaseIII rd).

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 720-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	भमरा	5.00	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	मझगंवा शाखा नहर हेतु
		योग . .	5.00	संभाग क्रमांक-2, सतना (म. प्र.).	(FaseIII rd)

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 722-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	कोटरा	5.00	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	मझगंवा शाखा नहर हेतु
		योग . .	5.00	संभाग क्रमांक-2, सतना (म. प्र.).	(FaseIII rd).

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 724-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	मौहरा	6.50	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	मझगंवा शाखा नहर हेतु
		योग . .	6.50	संभाग क्रमांक-2, सतना (म. प्र.).	(FaseIII rd).

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन, उपसचिव राजस्व, विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 726-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	सेहतारा	3.125	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	मझगंवा शाखा नहर हेतु (FaseIII rd).
			योग . . 3.125	संभाग क्रमांक-2, सतना (म.प्र.).	

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 728-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	डढ़िया	4.40	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	मझगंवा शाखा नहर हेतु (FaseIII rd).
			योग . . 4.40	संभाग क्रमांक-2, सतना (म. प्र.).	

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 730-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस

कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	कोटर	3.00	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	मझगवाँ शाखा नहर हेतु
योग . .			3.00	संभाग क्रमांक-2, सतना (म. प्र.).	(FaseII nd).

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 732-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	गड़ौली	2.80	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	मझगवाँ शाखा नहर हेतु
योग . .			2.80	संभाग क्रमांक-2, सतना (म. प्र.).	(FaseII nd).

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 734-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	फरहद	6.20	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	मझगवाँ शाखा नहर हेतु
योग . .			6.20	संभाग क्रमांक-2, सतना (म. प्र.).	(FaseII nd).

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 736-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	मोहनिया	3.50	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	मझगंवा शाखा नहर हेतु
		योग . .	3.50	संभाग क्रमांक-2, सतना (म. प्र.).	(FaseII nd).

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 738-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	सेमरी	7.50	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	मझगंवा शाखा नहर हेतु
		योग . .	7.50	संभाग क्रमांक-2, सतना (म. प्र.).	(FaseII nd).

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 9 फरवरी 2016

प्र. क्र. 219-अ-82-वर्ष 2014-15.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—रैपुरा
(ग) ग्राम— खुसरा, प.ह.नं. 26
(घ) क्षेत्रफल—3.15 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1011/3	0.45	निजी भूमि
1011/4	1.00	निजी भूमि
1011/5	1.00	निजी भूमि
1011/6	0.70	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि	3.15	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पटपरा नाला तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 213-अ-82-वर्ष 2014-15.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—रैपुरा
(ग) ग्राम—जमुनिया, प.ह.नं. 26
(घ) क्षेत्रफल—1.46 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
591	0.10	निजी भूमि
640	0.05	निजी भूमि
641	0.04	निजी भूमि
664	0.11	निजी भूमि
665	0.09	निजी भूमि
717	0.01	निजी भूमि
720	0.01	निजी भूमि
721	0.08	निजी भूमि
723	0.02	निजी भूमि
711	0.03	निजी भूमि
718	0.02	निजी भूमि
712	0.06	निजी भूमि
1086	0.08	निजी भूमि
1085	0.03	निजी भूमि
1091	0.04	निजी भूमि
1119	0.05	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
1090	0.01	निजी भूमि
1094	0.03	निजी भूमि
1095	0.06	निजी भूमि
1110	0.02	निजी भूमि
1109	0.04	निजी भूमि
1011	0.10	निजी भूमि
1012	0.01	निजी भूमि
1013	0.01	निजी भूमि
1008	0.08	निजी भूमि
1117	0.01	निजी भूमि
1118	0.03	निजी भूमि
1002	0.01	निजी भूमि
1003	0.02	निजी भूमि
1006	0.02	निजी भूमि
1007	0.02	निजी भूमि
928	0.03	निजी भूमि
921	0.04	निजी भूमि
925	0.04	निजी भूमि
924	0.02	निजी भूमि
918	0.01	निजी भूमि
919	0.01	निजी भूमि
920	0.02	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . . 1.46

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पटपरा नाला तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमिका नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 29 फरवरी 2016

प्र. क्र. 040-अ-82-वर्ष 2015-16.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की

आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
 (ख) तहसील—गुनौर
 (ग) ग्राम—खभरा, प.ह.नं. 28
 (घ) क्षेत्रफल—4.21 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
98	0.01	निजी भूमि
99	0.79	निजी भूमि
101/1	0.06	निजी भूमि
101/2	0.03	निजी भूमि
102	0.10	निजी भूमि
100	0.06	निजी भूमि
103	0.04	निजी भूमि
104	0.01	निजी भूमि
108	0.01	निजी भूमि
109	0.09	निजी भूमि
110	0.07	निजी भूमि
136	0.02	निजी भूमि
138/1	0.01	निजी भूमि
141	0.06	निजी भूमि
142	0.12	निजी भूमि
143	0.07	निजी भूमि
144	0.05	निजी भूमि
145	0.16	निजी भूमि
146	0.02	निजी भूमि
147	0.17	निजी भूमि
148	0.08	निजी भूमि
149	0.13	निजी भूमि
151	0.15	निजी भूमि
156	0.06	निजी भूमि
157	0.04	निजी भूमि
155	0.22	निजी भूमि
170	0.03	निजी भूमि
171	0.03	निजी भूमि
172	0.02	निजी भूमि
229	0.07	निजी भूमि
230	0.25	निजी भूमि
231	0.37	निजी भूमि
270	0.10	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
271	0.18	निजी भूमि			
274	0.02	निजी भूमि	3748	0.630	निजी भूमि
275	0.05	निजी भूमि	3782	0.010	निजी भूमि
276	0.05	निजी भूमि	3783/1	0.080	निजी भूमि
277	0.02	निजी भूमि	3783/2	0.080	निजी भूमि
280	0.18	निजी भूमि	3801/1	0.230	निजी भूमि
281	0.17	निजी भूमि	3801/2	0.300	निजी भूमि
286	0.02	निजी भूमि	3801/3	0.250	निजी भूमि
137	0.02	निजी भूमि	3804	0.360	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . . 4.21			3802	0.010	निजी भूमि
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.		3819	0.300	निजी भूमि
			3820	0.110	निजी भूमि
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.		3822/1	0.680	निजी भूमि
			3822/2	0.080	निजी भूमि
			3823	0.310	निजी भूमि
			3836	0.170	निजी भूमि
			3818	0.300	निजी भूमि
			4875/1	0.560	निजी भूमि
			4875/2	0.090	निजी भूमि
			4877	0.400	निजी भूमि
			4893/1	0.600	निजी भूमि
			4899	0.120	निजी भूमि
			4908	0.070	निजी भूमि
			4901	0.028	निजी भूमि
			4902	0.060	निजी भूमि
			4906	0.101	निजी भूमि
			4905	0.020	निजी भूमि
			4915	0.030	निजी भूमि
			4916	0.520	निजी भूमि
			4918	0.240	निजी भूमि
			4919	0.110	निजी भूमि
			4924/1	0.064	निजी भूमि
			4924/2	0.110	निजी भूमि
			4925/1	0.130	निजी भूमि
			4922	0.100	निजी भूमि
			4923	0.280	निजी भूमि
			5139	0.251	निजी भूमि
			5138/2	0.050	निजी भूमि
			5142	0.110	निजी भूमि
			5152/1	0.050	निजी भूमि
			5152/2	0.070	निजी भूमि
			5153	0.250	निजी भूमि
			5157	0.140	निजी भूमि
			5155	0.160	निजी भूमि
			5156	0.100	निजी भूमि
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार			
(1)	(2)	(3)			
3750	0.340	निजी भूमि			

(1)	(2)	(3)
5180	0.280	निजी भूमि
5181	0.010	निजी भूमि
5182	0.765	निजी भूमि
5184	0.030	निजी भूमि
5188	0.950	निजी भूमि
5189/1	0.420	निजी भूमि
5189/2	0.210	निजी भूमि
5186	0.200	निजी भूमि
5187	0.460	निजी भूमि
2718/1	0.020	निजी भूमि
2718/2	0.060	निजी भूमि
2722/1	0.300	निजी भूमि
2704	0.280	निजी भूमि
2705	0.040	निजी भूमि
2703	0.040	निजी भूमि
2701	0.030	निजी भूमि
2688	0.040	निजी भूमि
2698/1	0.010	निजी भूमि
2698/2	0.010	निजी भूमि
2697/1	0.350	निजी भूमि
2697/2क	0.213	निजी भूमि
2697/2ख	0.020	निजी भूमि
2689	0.020	निजी भूमि
2687	0.040	निजी भूमि
2690	0.020	निजी भूमि
2696/1	0.081	निजी भूमि
2696/2	0.020	निजी भूमि
2597/1	0.040	निजी भूमि
2597/2	0.030	निजी भूमि
2695/2	0.270	निजी भूमि
2601/1	0.020	निजी भूमि
2601/2	0.300	निजी भूमि
2601/1क	0.020	निजी भूमि
2601/1ख	0.004	निजी भूमि
2600/2	0.030	निजी भूमि
2598	0.050	निजी भूमि
2599	0.370	निजी भूमि
2607/2	0.034	निजी भूमि
2608/1	0.019	निजी भूमि
2608/2	0.019	निजी भूमि
2609/2	0.140	निजी भूमि
2593	0.300	निजी भूमि
2595	0.030	निजी भूमि
2591	0.130	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
2579	0.050	निजी भूमि
2702/1	0.600	निजी भूमि
2702/2क	0.020	निजी भूमि
2796/1	0.020	निजी भूमि
2796/2	0.191	निजी भूमि
2706	0.040	निजी भूमि
2699/1/क	0.010	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . . .	<u>16.710</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पर्वट मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 024-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—गुनौर

(ग) ग्राम—सथनिया, प.ह.नं. 28

(घ) क्षेत्रफल—8.37 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1764	0.06	निजी भूमि
1770/1	0.01	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1770/2	0.03	निजी भूमि	1508/2	0.05	निजी भूमि
1768/1	0.18	निजी भूमि	1508/3	0.07	निजी भूमि
1768/2	0.12	निजी भूमि	1508/4	0.09	निजी भूमि
1769	0.19	निजी भूमि	1509	0.15	निजी भूमि
1767	0.37	निजी भूमि	1506	0.35	निजी भूमि
1750	0.14	निजी भूमि	1507	0.06	निजी भूमि
1751	0.27	निजी भूमि	1510	0.01	निजी भूमि
1752/1	0.03	निजी भूमि	1499	0.03	निजी भूमि
1752/2	0.06	निजी भूमि	1569	0.44	निजी भूमि
1752/3	0.03	निजी भूमि	1656	0.08	निजी भूमि
1753	0.25	निजी भूमि	1657	0.01	निजी भूमि
1754	0.30	निजी भूमि	1670	0.01	निजी भूमि
1745/1	0.01	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि . . . 8.78		
1658	0.28	निजी भूमि	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.		
1725	0.07	निजी भूमि	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.		
1724	0.02	निजी भूमि	प्र. क्र. 025-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—		
1659	0.23	निजी भूमि	अनुसूची		
1660	0.23	निजी भूमि	(1) भूमि का वर्णन—		
1671	0.08	निजी भूमि	(क) जिला—पन्ना		
1663	0.18	निजी भूमि	(ख) तहसील—गुनौर		
1664	0.43	निजी भूमि			
1665/1	0.15	निजी भूमि			
1665/2	0.14	निजी भूमि			
1666	0.53	निजी भूमि			
1662	0.01	निजी भूमि			
1646/1	0.13	निजी भूमि			
1646/2	0.06	निजी भूमि			
1645/1	0.10	निजी भूमि			
1645/2	0.02	निजी भूमि			
1565	0.16	निजी भूमि			
1566	0.49	निजी भूमि			
1567/1	0.21	निजी भूमि			
1567/2	0.03	निजी भूमि			
1568	0.25	निजी भूमि			
1667	0.05	निजी भूमि			
1571/1	0.13	निजी भूमि			
1571/2	0.11	निजी भूमि			
1570/1	0.06	निजी भूमि			
1525	0.12	निजी भूमि			
1515/1	0.04	निजी भूमि			
1515/2	0.07	निजी भूमि			
1516	0.26	निजी भूमि			
1517	0.71	निजी भूमि			
1508/1	0.03	निजी भूमि			

- (ग) ग्राम—धरवारा, प.ह.नं. 53
(घ) क्षेत्रफल—2.34 हेक्टेयर.

भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
40	0.010	निजी भूमि
41	0.350	निजी भूमि
37	0.140	निजी भूमि
38	0.720	निजी भूमि
59	0.160	निजी भूमि
67	0.010	निजी भूमि
66	0.010	निजी भूमि
65	0.010	निजी भूमि
64	0.010	निजी भूमि
60	0.400	निजी भूमि
61	0.390	निजी भूमि
160	0.080	निजी भूमि
159	0.030	निजी भूमि
58	0.010	निजी भूमि
42	0.010	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . . . 2.34		

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पवई
(ग) ग्राम—सिमराखुर्द, प.ह.नं. 02
(घ) क्षेत्रफल—1.76 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
22	0.08	निजी भूमि
23	0.09	निजी भूमि
27	0.01	निजी भूमि
31	0.01	निजी भूमि
33	0.02	निजी भूमि
34	0.03	निजी भूमि
30	0.09	निजी भूमि
32	0.01	निजी भूमि
66	0.09	निजी भूमि
67	0.04	निजी भूमि
68/2	0.18	निजी भूमि
69	0.01	निजी भूमि
52/2	0.05	निजी भूमि
53	0.08	निजी भूमि
368	0.05	निजी भूमि
376	0.17	निजी भूमि
389/1/(क)/1	0.05	निजी भूमि
389/1/(ख)	0.01	निजी भूमि
389/2	0.04	निजी भूमि
386	0.04	निजी भूमि
387	0.05	निजी भूमि
397	0.02	निजी भूमि
369/1	0.01	निजी भूमि
403/1	0.04	निजी भूमि
403/2	0.04	निजी भूमि
402	0.07	निजी भूमि
2373/413	0.06	निजी भूमि
414/1	0.05	निजी भूमि
414/2	0.04	निजी भूमि
421	0.01	निजी भूमि
422	0.11	निजी भूमि
423	0.11	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . . .	1.76	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 189-अ-82-वर्ष 2014-15.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पटला तालाब योजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 192-अ-82-वर्ष 2014-15.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पवई
(ग) ग्राम—कुडगावां, प.ह.नं. 14
(घ) क्षेत्रफल—0.54 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
42	0.08	निजी भूमि
48	0.02	निजी भूमि
49	0.02	निजी भूमि
50	0.01	निजी भूमि
51	0.01	निजी भूमि
53	0.06	निजी भूमि
54	0.12	निजी भूमि
55	0.08	निजी भूमि
129/1	0.05	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
129/2	0.05	निजी भूमि
127	0.04	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .		<u>0.54</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पटला तालाब योजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 228-अ-82-वर्ष 2014-15.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पवई
(ग) ग्राम—भड़ार, प.ह.नं. 67
(घ) क्षेत्रफल—0.40 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
2	0.30	निजी भूमि
5/2	0.10	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .		<u>0.40</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 190-अ-82-वर्ष 2014-15.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पवई
(ग) ग्राम—किन्ना, प.ह.नं. 03
(घ) क्षेत्रफल—0.95 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
473/1	0.07	निजी भूमि
471/2	0.04	निजी भूमि
472/2	0.02	निजी भूमि
473/2	0.02	निजी भूमि
474	0.02	निजी भूमि
475/1	0.08	निजी भूमि
475/2	0.09	निजी भूमि
476	0.05	निजी भूमि
379	0.02	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
480/1 (ख)	0.03	निजी भूमि
480/2	0.02	निजी भूमि
483	0.03	निजी भूमि
480/1 (क)	0.11	निजी भूमि
481	0.06	निजी भूमि
482	0.03	निजी भूमि
378	0.09	निजी भूमि
373	0.08	निजी भूमि
371	0.08	निजी भूमि
477	0.01	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . . .		0.95

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पटना तालाब योजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 214-अ-82-वर्ष 2014-15.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—रैपुरा

(ग) ग्राम—बीजाखेड़ा, प.ह.नं. (घ) क्षेत्रफल—1.81 हेक्टेयर.			(1)	(2)	(3)
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार			
(1)	(2)	(3)			
			992	0.01	निजी भूमि
			993	0.01	निजी भूमि
			984	0.03	निजी भूमि
			985	0.01	निजी भूमि
			996	0.01	निजी भूमि
832	0.02	निजी भूमि	997	0.02	निजी भूमि
836	0.02	निजी भूमि	999	0.01	निजी भूमि
941	0.12	निजी भूमि	1000	0.01	निजी भूमि
908	0.02	निजी भूमि	1012	0.02	निजी भूमि
838	0.03	निजी भूमि	1011	0.01	निजी भूमि
833	0.01	निजी भूमि	1013	0.01	निजी भूमि
834	0.01	निजी भूमि	1014	0.02	निजी भूमि
1291	0.03	निजी भूमि	1015	0.01	निजी भूमि
835	0.01	निजी भूमि	1016	0.01	निजी भूमि
842	0.01	निजी भूमि	1279	0.06	निजी भूमि
843	0.01	निजी भूमि	1281	0.05	निजी भूमि
1411	0.01	निजी भूमि	1286	0.02	निजी भूमि
837	0.03	निजी भूमि	1282	0.02	निजी भूमि
839	0.03	निजी भूमि	1285	0.02	निजी भूमि
903	0.03	निजी भूमि	1287	0.06	निजी भूमि
977	0.08	निजी भूमि	1290	0.03	निजी भूमि
983	0.01	निजी भूमि	1331	0.02	निजी भूमि
910	0.06	निजी भूमि	1332	0.02	निजी भूमि
998	0.01	निजी भूमि	1334	0.02	निजी भूमि
911	0.04	निजी भूमि	1335	0.02	निजी भूमि
945	0.03	निजी भूमि	1336	0.02	निजी भूमि
946	0.03	निजी भूमि	1337	0.03	निजी भूमि
948	0.04	निजी भूमि	1338	0.01	निजी भूमि
949	0.03	निजी भूमि	1405	0.02	निजी भूमि
1339	0.04	निजी भूमि	1410	0.04	निजी भूमि
1340	0.03	निजी भूमि	1409	0.02	निजी भूमि
1404	0.12	निजी भूमि			
1407	0.02	निजी भूमि			
950	0.02	निजी भूमि			
951	0.02	निजी भूमि			
959	0.01	निजी भूमि			
960	0.03	निजी भूमि			
971	0.03	निजी भूमि			
994	0.02	निजी भूमि			
972	0.06	निजी भूमि			
961	0.02	निजी भूमि			
			कुल रकबा निजी भूमि	1.81	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पटपरा नाला तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 14 मार्च 2016

प्र. क्र. 8-अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—झाबुआ
(ग) ग्राम—मिण्डल
(घ) अर्जित रकबा—5.27 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
(1)	(2)		
119/1	0.26	0.00	0.26
119/4	0.09	0.00	0.09
104	0.20	0.00	0.20
118	0.21	0.00	0.21
117	0.05	0.00	0.05
105	0.05	0.00	0.05
106	0.00	0.06	0.06
107	0.41	0.00	0.41
108	0.52	0.00	0.52
97	0.01	0.00	0.01
80	0.26	0.00	0.26
88	0.11	0.00	0.11
89	0.03	0.00	0.03
87	0.04	0.00	0.04
81	0.21	0.00	0.21
82	0.04	0.00	0.04
83	0.06	0.00	0.06
84	0.04	0.00	0.04
85	0.14	0.00	0.14
86	0.23	0.00	0.23
39/1	0.03	0.00	0.03
39/2	0.38	0.00	0.38

(1)	(2)		
38	0.22	0.00	0.22
40/2	0.01	0.00	0.01
41/2	0.41	0.00	0.41
44/1	0.00	0.27	0.27
44/2	0.00	0.03	0.03
42	0.18	0.00	0.18
32	0.00	0.01	0.01
43	0.00	0.07	0.07
48/1	0.00	0.12	0.12
27	0.04	0.00	0.04
25	0.48	0.00	0.48
योग . .	4.71	0.56	5.27

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी झाबुआ तथा उपमुख्य अभियंता पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 9-अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—झाबुआ
(ग) ग्राम—रंगपुरा
(घ) अर्जित रकबा—1.49 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
(1)	(2)		
39	1.05	0.00	1.05
40	0.44	0.00	0.44
योग . .	1.49	0.00	1.49

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी झाबुआ तथा उपमुख्य अभियंता पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है।

(ग) ग्राम—गोपालपुरा
(घ) अर्जित रकबा—13.60 हेक्टेयर.

प्र. क्र. 10-अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—झाबुआ
(ग) ग्राम—करडावदछोटी
(घ) अर्जित रकबा—0.51 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
(1)	(2)		
314	0.14	0.00	0.14
312	0.14	0.00	0.14
311	0.11	0.00	0.11
310	0.12	0.00	0.12
योग . .	0.51	0.00	0.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी झाबुआ तथा उपमुख्य अभियंता पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है:—

प्र. क्र. 11-अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—झाबुआ

खसरा क्र.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
सर्वे नं.			
(1)	(2)		
92/1	0.26	0.00	0.26
91	0.00	0.02	0.02
92/5	0.04	0.00	0.04
92/6	0.09	0.00	0.09
92/9	0.13	0.00	0.13
92/7	0.21	0.00	0.21
93/1	0.04	0.00	0.04
93/2	0.31	0.00	0.31
95	0.08	0.00	0.08
96	0.32	0.00	0.32
97/1	0.08	0.00	0.08
98	0.38	0.00	0.38
99	0.14	0.00	0.14
105	0.00	0.01	0.01
104/1	0.00	0.31	0.31
103	0.43	0.00	0.43
102	0.02	0.00	0.02
110	0.21	0.00	0.21
113/3	0.62	0.00	0.62
114	0.10	0.00	0.10
126	0.77	0.00	0.77
129	0.35	0.00	0.35
130	0.41	0.00	0.41
134	0.12	0.00	0.12
135	0.00	0.35	0.35
136	0.00	0.12	0.12
125	1.13	0.00	1.13
124	0.00	0.11	0.11
208	0.00	0.15	0.15
212	0.01	0.00	0.01
209	0.00	0.02	0.02
207	0.00	0.36	0.36
206	0.00	0.30	0.30
104/2	0.11	0.00	0.11
137	0.00	0.10	0.10
183	0.00	0.10	0.10
205	0.00	0.37	0.37
201	0.02	0.00	0.02
202	0.09	0.00	0.09
203	0.52	0.00	0.52

(1)	(2)	(3)	(4)
204	0.00	0.10	0.10
187	0.00	0.02	0.02
186	0.00	0.06	0.06
188	0.35	0.00	0.35
189	0.00	0.15	0.15
200/3	0.15	0.00	0.15
199	0.02	0.00	0.02
198/1	0.10	0.00	0.10
198/2	0.12	0.00	0.12
198/3	0.06	0.00	0.06
197/1	0.04	0.00	0.04
197/2	0.12	0.00	0.12
97/2	0.22	0.00	0.22
182	0.00	0.28	0.28
267	0.30	0.00	0.30
268/1	0.13	0.00	0.13
268/2	0.10	0.00	0.10
268/3	0.02	0.00	0.02
271/1	0.00	0.10	0.10
276	0.00	0.05	0.05
277/3	0.08	0.00	0.08
277/2	0.00	0.01	0.01
266	0.20	0.00	0.20
265/1	0.04	0.00	0.04
288/2	0.14	0.00	0.14
287	0.07	0.00	0.07
285/1	0.18	0.00	0.18
273/1	0.09	0.00	0.09
271/2	0.00	0.05	0.05
275/1	0.00	0.13	0.13
275/2	0.00	0.05	0.05
277/1	0.25	0.00	0.25
289	0.00	0.07	0.07
184	0.44	0.00	0.44
योग . .	10.21	3.39	13.60

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी झाबुआ तथा उपमुख्य अभियंता पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12-अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—झाबुआ
(ग) ग्राम—करडावदबड़ी
(घ) अर्जित रकबा—3.14 हेक्टेयर.

खसरा क्र. सर्वे नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
(1)	(2)		
1096	0.00	0.18	0.18
1097	0.16	0.00	0.16
1100/1	0.00	0.33	0.33
1100/2	0.00	0.05	0.05
1100/3	0.00	0.13	0.13
1135	0.28	0.00	0.28
1129	0.28	0.00	0.28
1155	0.03	0.00	0.03
1157	0.08	0.00	0.08
1127	0.17	0.00	0.17
1871	0.06	0.00	0.06
1873	0.07	0.00	0.07
1864	0.01	0.00	0.01
1877	0.00	0.03	0.03
1867	0.00	0.01	0.01
1868/2	0.06	0.00	0.06
1868/3	0.26	0.00	0.26
1868/4	0.18	0.00	0.18
1868/5	0.16	0.00	0.16
1856/2	0.07	0.00	0.07
1872	0.29	0.00	0.29
1136	0.00	0.17	0.17
1137	0.00	0.07	0.07
1880/1	0.00	0.01	0.01
योग . .	2.16	0.98	3.14

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी झाबुआ तथा उपमुख्य

अभियंता पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ

(ख) तहसील—झाबुआ

(ग) ग्राम—कुण्डला

(घ) अर्जित रकबा—6.56 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
सर्वे नं.		(2)	
(1)			
395	0.06	0.00	0.06
394	0.15	0.00	0.15
399	0.65	0.00	0.65
400	0.01	0.00	0.01
398	1.30	0.00	1.30
473	0.05	0.00	0.05
469	0.00	0.02	0.02
474	0.00	0.03	0.03
475	0.23	0.00	0.23
477	0.04	0.00	0.04
478	0.23	0.00	0.23
482	0.02	0.00	0.02
484	0.31	0.00	0.31
487	0.01	0.00	0.01
488	0.05	0.00	0.05
500/1	0.06	0.00	0.06
500/2	0.32	0.00	0.32
499/1	0.10	0.00	0.10
591	0.00	0.06	0.06
587	0.00	0.15	0.15
588	0.00	0.01	0.01
589	0.00	0.01	0.01
590/1	0.15	0.00	0.15
590/2	0.33	0.00	0.33
593	0.18	0.00	0.18
595	0.00	0.01	0.01

	(2)		
	(1)	(2)	(3)
597	0.01	0.00	0.01
600	0.00	0.03	0.03
612	0.33	0.00	0.33
605/1	0.00	0.03	0.03
895	0.00	0.23	0.23
900	0.23	0.00	0.23
899/1	0.01	0.00	0.01
899/2	0.04	0.00	0.04
945	0.25	0.00	0.25
952	0.11	0.00	0.11
949	0.45	0.00	0.45
499/2	0.09	0.00	0.09
950	0.10	0.00	0.10
998	0.11	0.00	0.11
योग . .	5.98	0.58	6.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी झाबुआ तथा उपमुख्य अभियंता पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 14-अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ

(ख) तहसील—झाबुआ

(ग) ग्राम—नल्दीबडी

(घ) अर्जित रकबा—0.90 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
सर्वे नं.		(2)	
(1)			
2	0.90	0.00	0.90
योग . .	0.90	0.00	0.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता हैं—इंदौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ तथा उपमुख्य अभियंता पश्चिम रेल्वे निर्माण, रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 15-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—झाबुआ
(ग) ग्राम—कोटडा
(घ) अर्जित रकबा—9.77 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
सर्वे नं.			
(1)		(2)	
278	1.00	0.00	1.00
276	0.15	0.00	0.15
273/1	0.00	0.13	0.13
273/3	0.00	0.67	0.67
273/2	0.00	0.36	0.36
254	0.00	0.24	0.24
271	0.00	0.24	0.24
272	0.00	0.38	0.38
324	0.00	0.36	0.36
323	0.00	0.06	0.06
321	0.00	0.01	0.01
325	0.00	0.30	0.30
335	0.08	0.00	0.08
337	0.32	0.00	0.32
338	0.00	0.18	0.18
339	0.00	0.01	0.01
348	0.00	0.15	0.15
347	0.05	0.00	0.05
346	0.04	0.00	0.04
336	0.52	0.00	0.52
349/1	0.00	0.15	0.15
349/2	0.00	0.20	0.20

	(1)	(2)	
	349/3	0.00	0.15
	352/1	0.34	0.00
	352/2	0.40	0.00
	344	0.01	0.00
	354	0.26	0.00
	351	0.01	0.00
	355	0.20	0.00
	356	0.19	0.00
	359	0.10	0.00
	363	0.17	0.00
	362	0.56	0.00
	360	0.77	0.00
	361	0.20	0.00
	372	0.17	0.00
	410	0.30	0.00
	270	0.13	0.00
	269	0.05	0.00
	333	0.09	0.00
	429	0.07	0.00
योग . .		6.18	3.59
			9.77

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता हैं—इंदौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ तथा उपमुख्य अभियंता पश्चिम रेल्वे निर्माण, रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 16-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—झाबुआ

(ग) ग्राम—खेडी				(1)	(2)		
(घ) अर्जित रकबा—11.15 हेक्टेयर.							
खसरा क्र.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)						
सर्वे नं.	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा				
(1)		(2)					
1456	0.26	0.00	0.26	1574	0.00	0.51	0.51
1455	0.24	0.00	0.24	1579/1	0.00	0.01	0.01
1460/2	0.50	0.00	0.50	1576	0.00	0.18	0.18
1454/1	0.06	0.00	0.06	1579/6	0.00	0.06	0.06
1454/2	0.30	0.00	0.30	1371	0.00	0.15	0.15
1461	0.20	0.00	0.20	1586	0.95	0.00	0.95
1465/2	0.30	0.00	0.30	1365/2	0.09	0.00	0.09
1464	0.00	0.25	0.25	1463	0.00	0.01	0.01
1465/1	0.00	0.50	0.50	1431/1	0.00	0.01	0.01
1449	0.00	0.27	0.27	1431/2	0.00	0.06	0.06
1453	0.00	0.06	0.06	1432/5	0.00	0.02	0.02
1467	0.00	0.47	0.47	1414/2	0.00	0.03	0.03
1442	0.00	0.28	0.28	1414/1	0.00	0.01	0.01
1444	0.00	0.35	0.35	योग . .	5.11	6.04	11.15
1445	0.00	0.20	0.20	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.			
1443	0.00	0.06	0.06	(3) भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ तथा उपमुख्य अभियंता पश्चिम रेल्वे निर्माण, रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.			
1438	0.00	0.08	0.08	प्र. क्र. 17-अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—			
1436/1	0.82	0.00	0.82	अनुसूची			
1437	0.00	0.65	0.65	(1) भूमि का वर्णन—			
1436/2	0.05	0.00	0.05	(क) जिला—झाबुआ			
1436/3	0.24	0.00	0.24	(ख) तहसील—झाबुआ			
1503	0.19	0.00	0.19	(ग) ग्राम—पाचका नाका			
1523	0.09	0.00	0.09	(घ) अर्जित रकबा—2.71 हेक्टेयर.			
1524/1	0.12	0.00	0.12	खसरा क्र.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
1524/2	0.12	0.00	0.12	सर्वे नं.	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
1501	0.00	0.28	0.28	(1)		(2)	
1524/3	0.14	0.00	0.14	170	0.00	0.02	0.02
1524/4	0.12	0.00	0.12	165	0.00	0.01	0.01
1524/5	0.21	0.00	0.21	141	0.00	0.65	0.65
1528/1	0.07	0.00	0.07	140/1	0.19	0.00	0.19
1528/2	0.04	0.00	0.04	140/2	0.11	0.00	0.11
1531/4	0.00	0.01	0.01	139	0.45	0.00	0.45
1531/5	0.00	0.04	0.04	174	0.00	0.26	0.26
1531/6	0.00	0.02	0.02	175	0.00	0.96	0.96
1531/7	0.00	0.01	0.01	177	0.00	0.04	0.04
1525	0.00	0.34	0.34				
1570	0.00	0.35	0.35				
1571	0.00	0.32	0.32				
1572	0.00	0.12	0.12				
1573	0.00	0.33	0.33				

(1)	(2)	
168	0.00	0.02
योग . .	0.75	1.96
		2.71

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता हैं—इंदौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ तथा उपमुख्य अभियंता पश्चिम रेल्वे निर्माण, रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
- (ख) तहसील—झाबुआ
- (ग) ग्राम—पिटोलखुर्द
- (घ) अर्जित रकबा—1.11 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
(1)	(2)		
302/2	0.00	0.31	0.31
319/1	0.20	0.00	0.20
319/2	0.02	0.00	0.02
318/1	0.39	0.00	0.39
318/2	0.18	0.00	0.18
312	0.00	0.01	0.01
योग . .	0.79	0.32	1.11

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता हैं—इंदौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ तथा उपमुख्य अभियंता पश्चिम रेल्वे निर्माण, रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
- (ख) तहसील—झाबुआ
- (ग) ग्राम—बावडीबडी
- (घ) अर्जित रकबा—3.09 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
सर्वे नं.			
(1)	(2)		
1940/2	0.00	0.16	0.16
1936/1	0.00	0.08	0.08
1935	0.00	0.02	0.02
1931	0.22	0.00	0.22
1903	0.00	0.03	0.03
1901	0.20	0.00	0.20
1110/1	0.03	0.00	0.03
1110/2	0.18	0.00	0.18
1109	0.06	0.00	0.06
1108/2	0.10	0.00	0.10
1107	0.00	0.16	0.16
1111/4	0.00	0.01	0.01
1111/1	0.00	0.16	0.16
1074	0.14	0.00	0.14
1106	0.06	0.00	0.06
1075	0.43	0.00	0.43
1077	0.16	0.00	0.16
1078	0.03	0.00	0.03
1079	0.00	0.02	0.02
1080	0.02	0.00	0.02
1081	0.00	0.02	0.02
1082	0.00	0.23	0.23
1083	0.00	0.02	0.02
1085	0.00	0.01	0.01
1076	0.00	0.01	0.01
898	0.00	0.03	0.03
419	0.00	0.19	0.19
430	0.00	0.03	0.03
480/1	0.06	0.00	0.06
481/1	0.00	0.03	0.03
482/1	0.00	0.06	0.06
469	0.00	0.07	0.07
478	0.06	0.00	0.06
योग . .	1.75	1.34	3.09

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता हैं—इंदौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ तथा उपमुख्य अभियंता पश्चिम रेल्वे निर्माण, रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूणा गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.